

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईत्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 47/2025

वाद पत्र अं. धारा 53/88 आर.टी.ए.

शिमला देवी पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०.

-वादीया

बनाम्

1. अवंतार सिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०.
2. इकबाल सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०.
3. गुरतेज सिंह पुत्र अमरसिंह
4. गुरदयाल सिंह पुत्र गुरदतसिंह
5. गुरदेवसिंह पुत्र अमरसिंह
6. जंगसिंह पुत्र सुच्वासिंह
7. जंगीरसिंह पुत्र सुच्वासिंह
8. ज्ञानसिंह पुत्र अमरसिंह
9. जरनैलसिंह पुत्र अमरसिंह
10. दर्शन सिंह पुत्र पूर्णसिंह
11. दलासिंह पुत्र केहरसिंह
12. दलीप सिंह पुत्र गुरदतसिंह
13. निक्का सिंह पुत्र नत्थासिंह
14. प्यारासिंह पुत्र अमरसिंह
15. पूर्णसिंह पुत्र सुच्वासिंह
16. बेअन्त कौर पुत्री भगवान सिंह
17. सुखदेव सिंह पुत्र पूर्णसिंह
18. सतवीर कौर पुत्री भगवान
19. सन्तासिंह पुत्र बिशन सिंह
20. कुण्डासिंह पुत्र बोगासिंह
21. गुडडी उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री बोगासिंह
22. गोमा उर्फ परविन्द्र कौर पुत्री बोगासिंह
23. पम्मी उर्फ जसप्रीत कौर पुत्री बोगासिंह
24. बहादर पुत्र बोगासिंह
25. रूलदूसिंह पुत्र बोगासिंह
26. सोहनसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी बजीतपुर भोमा तह.अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
27. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

सम्स्त जाति जटसिख निवासी 2 आई.डी.जी
नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.



जाति तरखान निवासी
वजीतपुर भोमा तहसील
अबोहर जिला फाजिल्का
पंजाब

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 16.12.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे
वहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रामनिवास वेदी वकील प्रतिवादी संख्या 26 मिन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जिन न्यायालय पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-
2 आईडीजी के खाता संख्या 93/29 में कुल 3.289 हेक्टेयर मौके पर कब्जा काशत की भूमि:

शिमलादेवी पत्नी रायसिंह जाति जाट सा. नुकेरा

प.न. 146/120 मु.न. 3 कि.न. 12-18-19-22-23/1.265 हे. नहरी, कि.न. 13/0.051 हे. नहरी, कि.न. 8/1/0.019 हे. नहरी, कि.न. 8/2/0.010 हे.गे.मु.रास्ता, कि.न. 9/1/0.025 है. नहरी, कि.न. 9/2/0.038 है. गे.मु. रास्ता, प.न. 146/121 मु.न. 6 कि.न. 3/1/0.228 है. नहरी, कि.न. 3/2/0.025 है. गे.मु.खाला कुल 1.661 हे. नहरी मय गे.मु.रास्ता, गे.मु.खाला,

इकबालसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख सा. नुकेरा

प.न. 146/120 मु.न. 3 कि.न. 8/1/0.044हे. नहरी, कि.न. 8/2/0.028 हे.गे. मु.रास्ता, कि.न. 13/0.202 हे. नहरी, कि.न. 6/1/0.076 हे. नहरी, कि.न. 6/2/0.013 गे.मु. खाला, कि.न. 6/3/0.038 है.गे.मु.रास्ता, कि.न. 5/1/0.228 हे. नहरी, कि.न. 15/2/0.025 है.गे.मु.खाला, कि.न. 16/1/0.228 हे. नहरी, कि.न. 16/2/0.025 है. गे.मु. खाला, कि.न. 25/2/0.127 हे. नहरी, कि.न. 25/3/0.025 हे. गे.मु.खाला, कुल 1.659 है. नहरी मय गे.मु.

दर्शनसिंह, सुखदेवसिंह पि. पूर्णसिंह जाति जटसिख सा.देह प.न. 146/120 मु.न. 3 कि.न 7/2/0.038 हे. गे. मु. रास्ता कुल 0.038 है. गे.मु.रास्ता

4. सोहनसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख सा. वजीतपुर भोमा.

प.न. 146/120 मु.न. 3 कि.न. 10/0.025 है.गे.मु.रास्ता, कि.न. 11/1/0.240 हे. नहरी, कि.न. 11/2/0.013 हे.गे.मु.रास्ता, कि.न. 20/0.253 हे. नहरी, कुल 0.531 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4314 दिनांक 03.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मंय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.12.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया